

संदर्भ सं.राबैं.पुनर्वित्त-नीति/ 139 /आईएस-1/2020-21

परिपत्र सं. 151 /पुनर्वित्त- 45 /2020

02 जून 2020

प्रबंध निदेशक
सभी राज्य सहकारी बैंक

महोदय

<p><u>वर्ष 2020-21 के दौरान अंतरिम आधार पर अल्पावधि ऋणों पर ब्याज सहायता योजना जारी रखना</u></p> <p>कृपया (क) वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान अल्पावधि फ़सल ऋणों के लिए संशोधित ब्याज सहायता योजना पर हमारे दिनांक 15 फरवरी 2019 के परिपत्र संख्या 38 (संदर्भ सं राबैं.डोर –नीति / 2967 / आईएस-1 / 2018-19) और (ख) वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान मत्स्य और पशुपालन किसानों को केसीसी सुविधा के विस्तार के लिए ब्याज सहायता योजना पर हमारे दिनांक 24 जून 2019 के परिपत्र संख्या 56 (संदर्भ सं राबैं.डोर –नीति / 933 / आईएस-1 / 2019-20) का संदर्भ ग्रहण करें।</p> <p>2. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने दिनांक 28 मई 2020 के पत्र सं 1-4 / 2020-Credit-I द्वारा सलाह दी है कि अंतरिम उपाय के रूप में, अगले निर्देश तक, ब्याज सहायता योजना को उनही नियम और शर्तों पर लागू किया जाएगा जैसा कि वर्ष 2018-19 और 2019-20 में किया गया था। तदनुसार, आपको निम्नानुसार सलाह दी जाती है: -</p>	<p><u>Continuation of Modified Interest Subvention Scheme for Short Term Loans on interim basis during the year 2020-21</u></p> <p>Please refer to (i) our Circular No. 38 (Ref.No. NB.DoR-Policy/ 2967 /IS-1/ 2018-19) dated 15 February 2019 on the Modified Interest Subvention Scheme for short term crop loans during 2018-19 and 2019-20' and (ii) Our circular No. 198 (Ref.No. NB.DOR-Policy/933/IS AHF-I/2019-20) dated 24 June 2019 on Extension of Interest subvention facility to Fisheries and Animal Husbandry KCC Farmers for the period 2019-20.</p> <p>2. MoA&FW, GoI has since vide their letter No.F.No.1-4/2020-Credit-I dated 28 May 2020 advised that as an interim measure, it has been decided to implement, until further instructions, the Interest Subvention Scheme for Short Term Loans for agriculture and allied activities on the terms and conditions as approved for the scheme in the years 2018-19 and 2019-20. Accordingly, you are advised as under:-</p> <p>a. Interest Subvention of 2% p.a. to Cooperative Banks, on their own funds</p>
--	--

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

पुनर्वित्त विभाग

प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26539325 • फ़ैक्स: +91 22 26530090 • ई मेल: dor@nabard.org

Department of Refinance

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26539325 • Fax: +91 22 26530090 • E-mail: dor@nabard.org

<p>क. आधार स्तर पर किसानों को दिए जाने वाले ₹3.00 लाख तक के (अधिकतम 2 लाख रु प्रति किसान तक के पशुपालन और मत्स्य पालन गतिविधियों के लिए कार्यशील पूंजी ऋण) अल्पावधि ऋणों (फ़सली ऋण और पशुपालन और मत्स्य पालन गतिविधियों के लिए कार्यशील पूंजी ऋण) के लिए अपनी निजी निधियों का उपयोग करने वाले राज्य सहकारी बैंकों को 2% प्रति वर्ष की ब्याज सहायता उपलब्ध होगी बशर्ते ऋण दाता संस्थाएं 7% प्रति वर्ष की दर से आधार स्तर पर अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराएं. फ़सली ऋण/कार्यशील पूंजी ऋण की राशि पर 2% ब्याज सहायता की गणना अधिकतम एक वर्ष की अवधि के अधीन संवितरण/ आहरण तिथि से किसान द्वारा चुकौती की वास्तविक तिथि अथवा बैंक द्वारा निर्धारित भुगतान की विहित तिथि में जो भी पहले होगी, उस अवधि तक के लिए की जाएगी.</p> <p>ख. समय पर फ़सली/कार्यशील पूंजी ऋणों की चुकौती करने वाले किसानों के लिए अधिकतम एक वर्ष की अवधि के अधीन संवितरण/आहरण तिथि से किसान द्वारा चुकौती की वास्तविक तिथि अथवा बैंक द्वारा निर्धारित भुगतान की विहित तिथि में से जो भी कम हो उस अवधि के लिए 3% की अतिरिक्त ब्याज सहायता उपलब्ध होगी. अर्थात् समय पर से ऋण की चुकौती करने वाले किसानों को वर्ष 2020-21 के दौरान 4% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर अल्पावधि ऋण मिलेगा. इस प्रकार के ऋण लेने के एक वर्ष बाद चुकौती करने वाले किसानों को यह लाभ नहीं मिलेगा।</p> <p>ग. किसान क्रेडिट कार्ड धारक-छोटे और सीमांत किसानों को गरजू बिक्री से रोकने और अपनी</p>	<p>used for short term loans (crop loans and WC loans for animal husbandry and fisheries activities) upto Rs.3.00 lakhs per farmer (subject to maximum of Rs 2.00 lakh per farmer for WC loan for AH&F activities) will be available provided the lending institutions make available short term credit to farmers @ 7% p.a. Interest subvention @2% will be calculated on the crop loan/WC loan amount from the date of its disbursement/drawal upto the date of actual repayment of the crop loan by the farmer or upto the due date of the loan fixed by the Banks, whichever is earlier, subject to a maximum period of one year.</p> <p>b. An additional interest subvention @ 3% will be available to the prompt payee farmers from the date of disbursement of the short term loan upto the actual date of repayment by farmers or upto the due date fixed by the Bank for repayment of crop loan/WC loan, whichever is earlier, subject to a maximum period of one year from the date of disbursement. This also implies that the prompt payee farmers would get short term loans @ 4% p.a. during the year 2020-21. This benefit would not accrue to those farmers who repay after one year of availing such loans.</p> <p>c. In order to discourage distress sale by farmers and to encourage them to store their produce in warehouses, the benefit of Interest Subvention will be available to small and marginal farmers having Kisan Credit Card for a further period of</p>
--	--

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

पुनर्वित्त विभाग

प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26539325 • फ़ैक्स: +91 22 26530090 • ई मेल: dor@nabard.org

Department of Refinance

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26539325 • Fax: +91 22 26530090 • E-mail: dor@nabard.org

उपज भंडारागारों में रखने के लिए उन्हें बढ़ावा देने के प्रयोजन से भंडारागार विकास विनियामक प्रधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) द्वारा प्रमाणीकृत भंडारागारों में उपज भंडारित करने पर परक्राम्य भंडारागार रसीदों के समक्ष फसल लेने के बाद और 06 माह की अवधि के लिए उसी दर पर ब्याज सहायता दी जाएगी जिस दर पर फसल ऋणों पर दी जाती है।

घ. प्रकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने हेतु पुनःसंरचित राशि पर पहले वर्ष के लिए उपलब्ध 2% ब्याज सहायता की सुविधा जारी रहेगी। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार इस प्रकार के पुनःसंरचित ऋणों पर दूसरे वर्ष से सामान्य ब्याज दर लागू होगी।

ङ. हालांकि, गंभीर आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए, पुनःसंरचित ऋण राशि पर बैंकों को पहले तीन वर्षों / संपूर्ण अवधि (अधिकतम 5 वर्ष की अवधि) के लिए 2% की ब्याज सहायता उपलब्ध होगी। इसके अलावा, ऐसे सभी मामलों में, प्रभावित किसानों को प्रति वर्ष @ 3% प्रति वर्ष का पुनर्भुगतान पर ब्याज प्रोत्साहन का लाभ भी प्रदान किया जाएगा। हालांकि, गंभीर आपदाओं के ऐसे मामलों का अनुदान, एक उच्च-स्तरीय समिति (HLC) द्वारा तय किया जाना जाएगा, जो अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (IMCT) और राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (SC-NEC) की उप समिति की सिफारिश पर आधारित होगा।

3. इसके अलावा, हमारे दिनांक 13.03.2020 के परिपत्र संख्या -62 द्वारा, 01.04.2020 से वितरित

upto six months post harvest of the crop on the produce stored in warehouses accredited with Warehousing Development Regulatory Authority (WDRA) against negotiable warehouse receipts, at the same rate as is available on crop loan.

d. To provide relief to farmers affected by natural calamities, an interest subvention of 2% per annum will be made available to Banks for the first year on the restructured loan amount. Such restructured loans may attract normal rate of interest from the second year onwards as per the policy laid down by the RBI.

e. However, to provide relief to farmers affected by severe calamities, Interest subvention of 2% will be available to Banks for the first three years/entire period (subject to maximum period of 5 years) on the restructured loan amount. Further, in all such cases, the benefit of prompt repayment incentive @ 3% per annum shall also be provided to the affected farmers. **The grant of such cases of severe calamities shall, however, be decided by a High-Level Committee (HLC) based on the recommendation of Inter-Ministerial Central Team (IMCT) and Sub Committee of National Executive Committee (SC-NEC)**

3. Further, in terms of our circular No.62 dated 13.03.2020 KCC has been made mandatory for availing the benefit of Interest Subvention on short term loans

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

पुनर्वित्त विभाग

प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26539325 • फ़ैक्स: +91 22 26530090 • ई मेल: dor@nabard.org
Department of Refinance

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26539325 • Fax: +91 22 26530090 • E-mail: dor@nabard.org


गाँव बढ़े >> तो देश बढ़े

www.nabard.org

Taking Rural India >> Forward

<p>अल्पावधि ऋणों पर ब्याज सहायता का लाभ उठाने के लिए केसीसी को अनिवार्य बनाया गया है।</p> <p>4. बैंकों को योजना के तहत लाभार्थियों का श्रेणी-वार डेटा अनिवार्य रूप से बनाए रखने और, जब भी जरूरत हो, प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है।</p> <p>5. भारत सरकार की ब्याज सहायता योजना के तहत लाभ उठाने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया गया है। इसलिए बैंक द्वारा इस संबंध में डेटा बनाए रखा जाए।</p>	<p>disbursed from 01.04.2020.</p> <p>4. Banks are advised to mandatorily maintain and furnish, as and when required, the category-wise data of beneficiaries under the scheme.</p> <p>5. Aadhaar has been made mandatory for availing benefit under ISS of GoI. Hence the data regarding the same may be maintained by the Bank.</p>
---	--

भवदीय



(जिजि माम्मेन)
मुख्य महाप्रबंधक

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

पुनर्वित्त विभाग

प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26539325 • फ़ैक्स: +91 22 26530090 • ई मेल: dor@nabard.org

Department of Refinance

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26539325 • Fax: +91 22 26530090 • E-mail: dor@nabard.org